

कार्यालय,

इंजिन, प्राविधिक शिक्षा परिषद,

उत्तर प्रदेश सखनऊ।

संख्या:- प्राविच/परिषद सम्बद्धता/2021/3537

सखनऊ: दिनांक: 09/08/2021

कार्यालय माप:-

अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, नई दिल्ली/वर्ल्डवी काउन्सिल ऑफ इंजिनरिंग, नई दिल्ली द्वारा वार्षिक सत्र 2021-22 हेतु डिप्लोमा स्तरीय तकनीकी शिक्षण संस्थाओं को अनुमोदन प्रदान किए जाने के उपरान्त प्राविधिक शिक्षा परिषद, सखनऊ से सम्बद्धता/सम्बद्धता विस्तार प्रदान किए जाने हेतु दिनांक- 09/08/2021 को परिषद कार्यालय में सम्बद्धता समिति की बैठक सम्पन्न हुई। बैठक में समिति द्वारा सत्र 2021-22 हेतु अर्थात् नई संस्थाओं को सम्बद्धता/पूर्व से तयकित संस्थाओं को सम्बद्धता विस्तार/पाठ्यक्रम/प्रवेश क्षमता वृद्धि सहित अन्य मटी पर विचार करते हुए सत्र 2021-22 हेतु सम्बद्धता/सम्बद्धता विस्तार प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया।

सम्बद्धता समिति की बैठक में लिये गये निर्णय के अनुक्रम में निम्न संस्था को प्राविधिक शिक्षा परिषद, उ० प्र० सखनऊ द्वारा सत्र 2021-22 हेतु निम्नानुसार शर्तों के अधीन पाठ्यक्रम एवं उसमें उचित प्रवेश क्षमता हेतु सम्बद्धता/विस्तार प्रदान की जाती है:-

संस्था का कोड एवं नाम : 4458-SARASWATI HIGHER EDUCATION AND TECHNICAL COLLEGE OF ENGINEERING, BABATPUR, VARANASI

क्र०सं०	पाठ्यक्रम का नाम	ए०आई०सी०टी०ई०/पी०सी०आई० द्वारा सत्र 2021-22 हेतु अनुमोदित प्रवेश क्षमता	परिषद द्वारा सत्र 2021-22 हेतु अनुमोदित प्रवेश क्षमता
1	CIVIL ENGINEERING	60	60
2	ELECTRICAL ENGINEERING	60	60
3	MECHANICAL ENGINEERING (AUTOMOBILE)	60	60
4	MECHANICAL ENGINEERING (PRODUCTION)	60	60

सम्बद्धता हेतु शर्तें

- ✓ संस्था ए०आई०सी०टी०ई०/पी०सी०आई० द्वारा निर्धारित की गयी सभी शर्तों का पूर्णतः पालन करेगी।
- ✓ संस्था उत्तर प्रदेश प्राविधिक शिक्षा परिषद एक्ट 1962 तथा प्राविधिक शिक्षा परिषद विनियमवाली 1962, सेमेस्टर विनियमवाली-2016 तथा अन्य निर्मित नियमों एवं आदेशों का अनुपालन करेगी तथा शुल्क निर्धारण समिति द्वारा निर्धारित शुल्क तीन वर्षीय इंजीनरिंग पाठ्यक्रमों हेतु रु० 30150.00/- प्रतिवर्ष, दो वर्षीय कार्मिसी पाठ्यक्रम हेतु रु० 45000.00/- प्रतिवर्ष एवं एक तथा दो वर्षीय पाठ्यक्रमों (दो वर्षीय कार्मिसी पाठ्यक्रम के अतिरिक्त) हेतु रु० 22500.00/-

- ✓ संस्था में संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद द्वारा आयोजित (एबी एच डी प्रवेश दिया जाएगा)।
- ✓ संस्था को समय-समय पर निर्मित शैक्षणिक के अनुसार निरीक्षण एवं समीक्षा शुरू करना होगा।
- ✓ संस्थान उत्तर प्रदेश अधिनियम द्वारा निर्मित विधिविधियों/अधिनियमों/शासनादेशों/निर्देशों एवं निर्देशक, प्राविधिक शिक्षा, उ०प्र०, संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, उ०प्र० तथा प्राविधिक शिक्षा परिषद, उ०प्र० द्वारा कालेज को नियोजी, विनियोजी, आदेशों एवं निर्देशों का पालन करने के लिये बाध्यकारी है।
- ✓ यदि संस्थान का ए०आई०सी०टी०ई०पी०सी०आई० से अनुमोदन निरस्त किया जाता है तो इस संबंध में समस्त उपरोक्तित संस्था का होगा और विधिक रूप से किले भी कार्यवाही के लिए संस्था स्वयं उत्तरदायी होगी। प्राविधिक शिक्षा परिषद, संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, प्राविधिक शिक्षा निदेशालय एवं प्राविधिक शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश शासन के विरुद्ध यदि कोई कदम दायर किया जाता है तथा टाकरा कद के संबंध में ज्. न्यायालय द्वारा किसी प्रकार की प्रतिक्रिया संबंधी आदेश निर्गत किया जाता है तो समस्त प्रतिक्रिया संबंधित संस्था को करनी होगी।
- ✓ संस्थाओं को संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश अधिनियम द्वारा प्रत्येक वर्ष प्रवेश हेतु आयोजित कन्वेंशनियन द्वारा होने के पुर ए०आई०सी०टी०ई०पी०सी०आई० से अनुमोदन प्राप्त कर परिषद कार्यालय को उपलब्ध कराना होगा अन्यथा उन्हें प्रवेश की (कन्वेंशनियन के सम्पन्न हो प्रवेश परीक्षा के आधार पर) प्रवेश अनुमति प्रदान नहीं की जायेगी।
- ✓ उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रवेश हेतु समय-समय पर निर्मित नवीनतम आदेशानुसार विधियों का अनुपालन करना बाध्यकारी होगा।
- ✓ संस्था को अपने वेबसाइट पर संस्था की समस्त सूचनाएं जैसे संस्था की ऐतिहासिक वृष्टि भूमि, सटाफ, साज-सज्जा, उपकरण, प्राप्त किया जाये तथा शुरू, छात्रवास शुरू आदि का विवरण उपलब्ध कराना होगा।
- ✓ संस्था को शिक्षण-व्यवस्था हेतु उपयुक्त वातावरण उपलब्ध करने के साथ रीगिन टैकनी के सम्बन्ध में समस्त आवश्यक व्यवस्था सुनिश्चित करनी होगी।
- ✓ संस्था यह सुनिश्चित हो ले कि संस्था में प्राविधिक/संचालित वाटवर्क को चलाने वाले हेतु निरीक्षण समिति के समस्त उपकरण कालेज गेटे अभिलेख, भूमि-माल, फर्नीचर, उपकरण इत्यादि का यदि संस्था द्वारा किसी अन्य वाटवर्क के संचालन में प्रयोग किया जाता है और परिषद को इसकी जानकारी होती है कि संस्था उपरोक्त का प्रयोग किसी अन्य कालेज के लिए कर रही है तो सम्बन्धित संस्था की सम्बद्धता समाप्त किये जाने की कार्यवाही की जायेगी।
- ✓ संस्था के अधिकार क्षेत्रों/निरीक्षण के दौरान यदि संस्था में भूमि, भवन, पर्यवेक्षण, उपकरण एवं अन्य साज-सज्जा ए०आई०सी०टी०ई०पी०सी०आई०/परिषद के सम्बन्धित उपलब्ध नहीं पाया जाता है तो संस्था की सम्बद्धता समाप्त कर दी जायेगी।
- ✓ सम्बद्धता कालेज का अनुपालन न किये जाने अथवा कालेज का उत्सर्जन किये जाने की स्थिति में निदमातुल्य अनुशासनात्मक कार्यवाही की जायेगी।

(सफ०/आर०/बना)

सचिव

पू०सं०- प्राविधिक परिषद सम्बद्धता/2022/7818-8455

दिनांक: 30/08/2022

प्रतिनिधि:-

प्राध्यापक/निदेशक, SARASWATI HIGHER EDUCATION AND TECHNICAL COLLEGE OF ENGINEERING

8/10/2021

(सुनील कुमार शौनकर)

सचिव

पू0लं0- सशिक्ष/परिषद सम्बद्धता/2021/3538-4809

दिनांक: 09/08/2021

वसतिस्थिति:-

पद्यानाचार्यनिदेशक, SARASWATI HIGHER EDUCATION AND TECHNICAL COLLEGE OF
ENGINEERING, BABATPUR, VARANASI



(सुनील कुमार शौनकर)

सचिव

कार्यालय

राष्ट्रीय प्राविधिक शिक्षा परिषद

उत्तर प्रदेश संघसूचक

संख्या:- प्राविण/परिषद सम्बद्धता/2022/7817

संघसूचक दिनांक: 30/08/2022

:- कार्यालय सूचना :-

अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, नई दिल्ली/कार्यकारी काउन्सिल ऑफ इंजिनियर्स, नई दिल्ली द्वारा वार्षिक सत्र 2022-23 हेतु दिवसेंवा स्तरीय तकनीकी शिक्षण संघसूचकों को अनुमोदन प्रदान किए जाने के उपरान्त प्राविधिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश संघसूचक से सम्बद्धता/सम्बद्धता विस्तार प्रदान किए जाने हेतु दिनांक: 30/08/2022 को परिषद कार्यालय में सम्बद्धता समिति की बैठक सम्पन्न हुई। बैठक में समिति द्वारा सत्र 2022-23 हेतु अनुमोदित नई संघसूचकों को सम्बद्धता पूर्ण से संबंधित संघसूचकों को सम्बद्धता विस्तार/ पाठ्यक्रम/ परीक्षा क्षमता वृद्धि सहित अन्य मंडी पर विचार करने हुए सत्र 2022-23 हेतु सम्बद्धता/सम्बद्धता विस्तार प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया।

सम्बद्धता समिति की बैठक में विवेक एवं विवेक के अनुक्रम में निम्न संख्या को प्राविधिक शिक्षा परिषद, उ.प्र. संघसूचक द्वारा सत्र 2022-23 हेतु निम्नोक्त शर्तों के अधीन पाठ्यक्रम एवं उसमें अंकित परीक्षा क्षमता हेतु सम्बद्धता/सम्बद्धता विस्तार प्रदान की जाती है -

संस्था का कोड एवं नाम : 4468-SARASWATI HIGHER EDUCATION AND TECHNICAL COLLEGE OF ENGINEERING

क्र.सं.	पाठ्यक्रम का नाम	ए0आइ0सी0टी0ई0/पी0सी0आइ0 द्वारा सत्र 2022-23 हेतु अनुमोदित परीक्षा क्षमता	परिषद द्वारा सत्र 2022-23 हेतु अनुमोदित परीक्षा क्षमता
1	CIVIL ENGINEERING	60	60
2	ELECTRICAL ENGINEERING MECHANICAL	60	60
3	ENGINEERING (AUTOMOBILE) MECHANICAL	60	60
4	ENGINEERING (PRODUCTION)	60	60

सम्बद्धता हेतु शर्तें

- ✓ संख्या ए0आइ0सी0टी0ई0/पी0सी0आइ0 द्वारा निर्धारित की गयी शर्तों का पूर्णतः पालन करेगी।
- ✓ संस्था उत्तर प्रदेश प्राविधिक शिक्षा परिषद एक्ट 1992 तथा प्राविधिक शिक्षा परिषद विनियमवली 1992, विनियमवली-2000, गैरगैर विनियमवली-2016 तथा संलग्न-संलग्न पर निर्मित शर्तसूचकों का अनुपालन करेगी तथा शुल्क निर्धारण समिति द्वारा निर्धारित शुल्क नीति वषीय इजीए पाठ्यक्रमों हेतु ₹0 30150.00/- प्रतिवर्ष, दो वषीय कार्यकारी पाठ्यक्रम हेतु ₹0- 45000.00/- प्रतिवर्ष एवं एक तथा दो वषीय पाठ्यक्रमों (दो वषीय कार्यकारी पाठ्यक्रम के अतिरिक्त) हेतु ₹0-22500.00/- प्रतिवर्ष शुल्क ही वार्षिक छात्रवृत्ति से प्राप्त किया जावेगा। उपरोक्त के अतिरिक्त छात्रवृत्तियों में शुल्क के सम्बन्ध में समय-समय पर संस्था द्वारा निर्धारित किये जाने वाले शर्तसूचकों प्रसूची होगी, और लट्टर करकेवही किया जाना आवश्यक होगा। परीक्षा निर्धारण समिति द्वारा यदि सत्र 2022-23 हेतु परीक्षा का पुनर्निर्धारण किया जाता है, तो परीक्षा की नवीनतम तारीखें लागू होंगी।

प्रतिवर्ष शुल्क ही प्रत्येक छात्र/छात्रा से प्राप्त किया जावेगा। उपरोक्त के अतिरिक्त छात्र/छात्राओं से शुल्क के सम्बन्ध में समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत किये जाने वाले नमूनादेश प्रभावी होंगे, और तदनुसार कार्यवाही किया जाना आवश्यक होगा। पीएम निर्देशन समिति द्वारा यदि सत्र 2021-22 हेतु पीएम का पुनर्निर्धारण किया जाता है, तो पीएम की नवीनतम दर लागू होगी।

- ✓ संस्था को (3090 प्राथमिक शिक्षा समितियाँ तथा 309 समितियाँ, संस्थाओं को सम्बद्ध किया जाता) विनियमावली-2000 की शर्तों का अनुपालन करना होगा।
- ✓ संस्था में संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद द्वारा आवंटित छात्रों को ही प्रवेश दिया जावेगा। सीटों के रिक्त रह जाने की स्थिति में उत्तर प्रदेश शासन के निर्देशानुसार ही प्रवेश की कार्यवाही की जावेगी।
- ✓ संस्था को समय-समय पर निर्गत शासनदेश के अनुसार निरीक्षण एवं सम्बद्धता शुल्क जमा करना होगा।
- ✓ संस्था को ए0अई0सी0टी0ई0पी0सी0आई0 से आगामी सत्र हेतु अनुमोदन प्राप्त किया जाना आवश्यक होगा।
- ✓ संस्था उत्तर प्रदेश शासन द्वारा बनाये गये विधिविधियों/अधिनियमों/शासनदेशों/निर्देशों एवं निर्देशक प्राथमिक शिक्षा, 3090, संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, 3090 तथा प्राथमिक शिक्षा परिषद, 3090 द्वारा बनाये गये विद्यार्थी, विनियमों, आदेशों, निर्देशों का पालन करने के लिये बाध्य होगी।
- ✓ डिप्लोमा इन कॉमर्सी पाठ्यक्रम की संस्थाएं यदि पी.सी.आई. नई दिल्ली से अनुमोदन प्राप्त करने में असफल रहती हैं तो इस संबंध में समस्त उत्तरदायित्व संस्था का होगा और विधिक रूप से किसी भी कार्यवाही के लिए संस्था स्वयं उत्तरदायी होगी। प्राथमिक शिक्षा परिषद, संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, प्राथमिक शिक्षा निदेशकत्व एवं प्राथमिक शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश शासन को कोई वाद दायर किया जाता है तथा दायर वाद के संबंध में मा. न्यायालय द्वारा किसी प्रकार की प्रतिवृत्ति संबंधी आदेश निर्गत किया जाता है तो समस्त प्रतिवृत्ति संबंधित संस्था को बरनी होगी।
- ✓ डिप्लोमा इन कॉमर्सी पाठ्यक्रम संचालित करने वाली संस्थाओं को संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रत्येक वर्ष के लिए आयोजित प्रवेश परीक्षा हेतु क्वॉलिफिकेशन परीक्षा होने के पूर्व पी0सी0आई0 से अनुमोदन प्राप्त बन परिषद कर्षालय को उपलब्ध कराना होगा अन्यथा उन्हें प्रवेश की (कॉन्डिशनल के माध्यम से अथवा संस्था स्तर पर सीटें खोला) अनुमति नहीं प्रदान की जावेगी।
- ✓ उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रवेश हेतु निर्गत नवीनतम आरक्षण नियमों का अनुपालन करना आवश्यक होगा।
- ✓ संस्था को अपनी वेबसाइट पर संस्था की समस्त सूचनाएं जैसे संस्था की ऐतिहासिक पृष्ठ भूमि, स्टाफ, साज-सज्जा, उपकरण, प्राप्त किया जाने काल शुल्क, छात्रावास शुल्क आदि का विवरण उपलब्ध कराना होगा।
- ✓ संस्था को शिक्षण-प्रशिक्षण हेतु उपर्युक्त वातावरण उपलब्ध कराए के साथ रैगिंग रोकने के सम्बन्ध में समस्त आवश्यक व्यवस्था सुनिश्चित करनी होगी।
- ✓ संस्था यह सुनिश्चित हो ले कि संस्था में प्रस्तावित/संचालित पाठ्यक्रम को चलाये जाने हेतु निरीक्षण समिति के समक्ष उपलब्ध कराये गये अभिलेख, भूमि-अवकाश, वर्गीकरण, उपकरण इत्यादि का यदि संस्था द्वारा किसी अन्य पाठ्यक्रम के संचालन में प्रयोग किया जाता है और परिषद को इसकी जानकारी होती है कि संस्था उपरोक्त का प्रयोग किसी अन्य कार्य के लिए कर रही है तो तत्काल संस्था की सम्बद्धता समाप्त किये जाने की अनुशंसा की जावेगी।
- ✓ संस्था के स्थानीय निरीक्षण दौरान यदि संस्था में भूमि, अवकाश, प्रयोगावास, उपकरण एवं अन्य साज-सज्जा ए0अई0सी0टी0ई0पी0सी0आई0/परिषद के मातृकानुसार उपलब्ध नहीं पाया जाता है तो संस्था की सम्बद्धता समाप्त कर दी जावेगी।
- ✓ सम्बद्धता शर्तों का अनुपालन न किये जाने अथवा शर्तों का उल्लंघन किये जाने की स्थिति में नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही की जावेगी।